अब एआरडी इंडस्ट्रीज में कटी मजदूर की उंगली

पुलिस, नेता, डॉक्टर, लेबर कोर्ट...हर किसी ने राहुल को किया निराश

विवेक कुमार

फरीदाबाद: यहां के कारखानों में मजदूरों की उंगली कटने, हाथ कटने जैसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दूसरी तरफ लेबर डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बीते 10 सितम्बर को 25 साल के राहुल के दाहिने हाथ की उंगली कट गई। पैटर्न तकरीबन वही जैसे वीनस व् अन्य कंपनियों के मजदूरों की उंगली कटने का था। उसके बाद पुलिस व् अन्य सरकारी महकमों का भी पैटर्न इस मामले में भी पहले जैसा रहा। अभी पिछले महीने वीनस कंपनी के मजदूर, सागर की भी ठीक इसी प्रकार से उंगली कट गई थी। उस केस में मजदूर संगठनों ने मिल कर धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन को कुछ मुआवजा सागर नामक श्रमिक को दबाव में देना पड़ा। लेकिन राहुल के साथ ऐसा नहीं हुआ।

लेबर कोर्ट फरीदाबाद में राहुल दाहिने हाथ की अपनी कटी उंगली पर एक पट्टी लगवाए और उसे बाएं हाथ के सहारे से टिकाये अपने हमउम्र दोस्त व माँ के साथ भटक रहे थे। बात करने पर उन्होंने बताया कि आईएमटी में प्लाट नंबर 793 स्थित एआरडी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में 2 सितम्बर को राहुल को बतौर हेल्पर 9300 रुपये मासिक वेतन तय कर काम पर रखा गया। इस नौकरी में सप्ताह भर बाद ही राहुल को ऑपरेटर के काम पर जबरन लगा दिया गया। जैसा हमेशा ही होता है मशीन की खराबी का खामियाजा मजदूर को अपनी उंगली, हाथ या जान गवां कर चुकानी पड़ती है, राहुल के साथ भी यही हुआ।

सुपरवाइजर ओमप्रकाश से मशीन की खराबी की शिकायत करने के बावजूद राहुल को जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए और जबरन मशीन पर बिना कोई ट्रेनिंग दिए लगाये रखा गया। मशीन में उंगली कटने के बाद ठीक उन्ही घटनाओं की पुनरावृति हुई जो वीनस या अन्य कंपनियों में मजदूर के साथ दुर्घटना घटने पर होती रही है। सुपरवाइजर ओमप्रकाश राहुल को नीलम चौक स्थित सूर्या अस्पताल ले गए। वहां बिना पुलिस को सूचित किये उंगली पर टाँके लगा कर मामले को रफा-दफा किया गया। साथ ही ओमप्रकाश ने राहुल से यह कहते हुए कागज पर दस्तखत करवा लिए कि वह कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। ओम प्रकाश ने धमकी भी दी कि अगर तूने पुलिस को बताया या कोई केस किया तो फिर कंपनी तेरी कोई मदद नहीं करेगी। अज्ञानतावश और डर से राहुल ने हामी भर दी। दो दिन पट्टी करवाने के बाद कंपनी ने इलाज करवाने के खर्च से हाथ खड़े कर दिए और राहुल को नौकरी से भी निकाल दिया।

राहुल

जेब में इलाज तक के पैसे न होने की सूरत में राहुल चन्दावली पुलिस चौकी पर मदद लेने पहुंचे तो राजकुमार नामक पुलिसकर्मी ने यह कह कर भगा दिया कि जा पहले एमएलआर लेकर आ, जबकि एमएलआर कटवाना तो खुद पुलिस का ही काम है। एमएलआर के लिए सूर्या अस्पताल ने 2000 रुपये की मांग की। सूर्या अस्पताल से जब मजदूर मोर्चा टीम ने इस बाबत बात की तो उनके अनुसार ये पैसे इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। वैसे खास बात है कि शहर में कहीं भी उंगली या हाथ कटे तो उन कंपनियों की मैनेजमेंट पीड़ित को सूर्या अस्पताल में भेजती है और ये अस्पताल हर बार बिना पुलिस को सूचित किये काम-तमाम कर देता है।

पुलिस से निराश होकर राहुल ने श्रम विभाग का रुख किया जहाँ एक वकील ने 500 रुपये लेकर कंपनी को नोटिस भेज दिया। कंपनी से नोटिस का कोई जवाब न आने की सूरत में वकील ने राहुल को 3000 रुपये लेकर लेबर कोर्ट आने को कहा। जेब में पैसों की कड़की के कारण वकील की फीस देना राहुल के बूते से बाहर की बात है सो खुद ही अपना मामला आगे ले जाने का प्रयास करने लगा।

सरकारी बाबू ने कटी उंगली वाले इस पीड़ित से पहले अपनी शिकायत लिखित रूप से लेकर आने को कहते हुए एक कमरे में भेज दिया। यह कमरा ट्रेड यूनियन के लोगों का सामूहिक रूप से बैठने का कमरा है। यहाँ राहुल को सबसे पहले मिले मजदूरों के नाम पर मसीहा बने यूनियन एजेंट। एक कागज पर अपना नाम लच्छीराम और टेलीफोन नम्बर के साथ घर का पता देते हुए कह दिया कि शाम को 500 रुपये लेकर घर आ जाना। जब मजदूर मोर्चा ने लच्छी राम से पूछा कि क्या वह श्रम विभाग में कार्यरत है और क्या यह 500 रुपये किसी फीस के तौर पर मांगे गए हैं? पहले तो लच्छीराम ने सभी यूनियनों-इंटक, एटक, सीटू का नाम लेकर रोब झाड़ने की कोशिश की पर बात बनती न देख बोले कि मैं प्राइवेट आदमी हूँ, अपनी फीस ले रहा हूँ, आपको दिक्कत है तो सरकारी बाबू से लिखवा लो।

शिकायत से संबंधित सरकारी क्लर्क से जब मजदूर मोर्चा रिपोर्टर मिला तो बाबू ने हिकारत की नजरों से राहुल को देखते हुए कहा कि इसे बता दिया था कि एक शिकायत लिख कर ले आये अपनी। पर जब उसकी उंगली कटी है तो वह लिखे कैसे, क्या ऐसे मामले में शिकायत लिखने के लिए कोई हेल्प डेस्क का प्रावधान नहीं है, जवाब नहीं में मिला।

थक-हार कर राहुल दोबारा पुलिस की शरण में गया जहाँ चन्दावली पुलिस चौकी से सदर पुलिस थाने के कई चक्कर कटवाने के बाद राहुल की दरखास्त ले ली गई और उचित कार्रवाई करने का दिलासा देकर फिलहाल घर भेज दिया गया। पुलिस के बुलाने पर 1 अक्टूबर को राहुल फ़िर थाने गया। राहुल को धमकाते हुए एक एएसआई ने कहा कि एक ओर तूने लीगल नोटिस दे रखा है दूसरी तरफ़ तू एफआईआर करवाने आ गया, ऐसा कहीं होता है? इसके बाद राहुल को बाद में आने को कहकर घर भेज दिया। कार्यवाही के नाम पर पुलिस आईएमटी में दो अक्टूबर की छुट्टी का बहाना बना कर एक दिन और निकाल दिया है। एएसआई असलम खान ने अपना पक्ष रखते हुए उपरोक्त आरोपों से मुकरते हुए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

मंदिर कब्जाने के लिये विधायक सीमा का पैंतरा: जनरल सेक्रेट्री बंसीलाल पर हमला

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनआईटी के नम्बर पांच स्थित शिव मंदिर पर पिछले काफ़ी समय से विधायक सीमा त्रिखा की नज़र लगी हुई थी। वे इस पर अपने खास कार्यकर्ता मंगल को काबिज कराना चाहती थी। मंदिर के अलावा मार्केट का प्रधान भी सीमा ने मंगल को ही धक्का-शाही से घोषित कर रखा है।

इसी सिलसिले में बीते रविवार 27 सितम्बर को सीमा के इशारे पर मंदिर के जनरल सेकेट्री बंसीलाल कुकरेजा पर उस समय घातक हमला कराया गया जब वे मंदिर के दरवाजे पर स्थित अपनी दुकान पर बैठे थे। बहाना यह बनाया गया कि ढाई वर्ष मंदिर में चलने वाले स्कूल के लिये करीब 12000 रुपये का कुछ फ़र्नीचर खरीदा गया था जिसको लेकर आज हेरा-फेरी का आरोप लगाया जा रहा है। वास्तव में यह सामान स्कूल की प्रिंसिपल व मंदिर के प्रधान द्वारा स्वीकृत होने के बाद खरीदा गया था न कि अकेले बंसीलाल द्वारा। बंसी लाल मंदिर की दुकान में ही किरायेदार हैं जिसका वे नियमित किराया देते आ रहे हैं परन्तु सीमा के इशारे पर उन्हें रसीद नहीं दी जा रही थी लेकिन यह मसला उस वक्त

तुरंत सुलझ गया जब मंदिर के पुजारी ने किराया वसूली की तसदीक कर दी।

उक्त 12000 की वसूली के लिये रविवार को मंदिर प्रधान हर्ष मल्होत्रा गुरचरण गांधी, पवन सब्बरवाल, महेश बजाज महाजन कैशियर आदि ने पहले तो बंसीलाल को मंदिर के भीतर अपनी मीटिंग में आने के लिये कहा लेकिन बंसीलाल षडयंत्र को ताड़ गये थे, इस लिये उनके पास नहीं गये तो ये लोग बाहर उनकी दुकान पर आ गये और डंडे-बल्ली आदि से उन पर हमला कर दिया। बचाव में बंसीलाल ने भी वाइपर उठा कर एक-दो को जड़ दिया। मामला थाना एनआईटी तक पहुंच गया जहां पहले से ही विधायक महोदया का फ़ोन पहुंच चुका था; लिहाज़ हमले में घायल हो चुके बंसीलाल के विरुद्ध ही धारा 323 व 506 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि बंसीलाल की शिकायत ले तो ली लेकिन हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। हालांकि बंसीलाल ने अपने ऊपर हुए हमले, नीचे गिरने, घायल होने की पूरी वीडियो पुलिस को दिखा दी थी।

अंत में समझौते के तौर पर उक्त फ़र्नीचर जो बंसीलाल की दुकान के आगे पटक दिया गया था, उसके 12000 की बजाय 6000 रुपये बंसीलाल ने मंदिर को देने स्वीकार कर लिये। ऐसे होता है राजनीतिक दबाव में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

किसान अपनी फ़सल बेचने के लिये कॉर्पोरेट व पूंजीपतियों पर निर्भर

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

पंजाब की अकाली दल की तरह हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी)व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) का आधार किसान है। कुरूक्षेत्र में पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज और मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून पारित करने पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा इन कानूनों के विरुद्ध स्पष्ट रूख नहीं अपनाने पर दुष्यंत के विरुद्ध रोष मुखर हो रहा है, जिसको 'दुष्यंत चौटाला के विश्वासघात के बीच जेजेपी विधायक बगावत पर आमादा-कुछ विधायकों ने आलाकमान को नजरन्दाज़ कर किसान आंदोलन का दिया समर्थन' में उजागर किया गया है। दुष्यंत को अपनी पार्टी के अलावा खुद उनके परिवार में तथा अपने इलाके में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

मज़दूर मोर्चा के 27 सितम्बर- 3 अक्टूबर के अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के विरुद्ध उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देशव्यापी किसान आंदोलन चल रहा है तथा विरोध प्रदर्शन व धरने हो रहे हैं। 'नये कानून से सबसे ज्यादा फ़ायदा रिलायंस रिटेल को होगा!' तथा 'कार्पोरेट खेती का एजेंडा बना मोदी सरकार का एजेंडा वादा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का खतरे में पड़ गयी एमएसपी' में स्वामीनाथन आयोग की प्रमुख सिफारिशों की समीक्षा के साथ-साथ मोदी सरकार की वादा-खिलाफ़ी, किसान विरोधी नीति व कृषि कानूनों का किसान, आढतियों व कृषि मज़दूरों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों का विवेचन किया गया है।

इन कृषि कानूनों के तहत ठेका प्रणाली लागू होने के बाद अगर कोई विवाद पैदा होता है, तो किसान अदालत में नहीं जा सकेगा। रोजमर्रा के आवश्यक खाद्य पदार्थों को 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' से बाहर कर इनकी सटॉक सीमा समाप्त कर देने से ग्लोबल निवेशक कंपनियां तथा रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियां काल्पनिक कमी पैदा करके जमाखोरी से भारी मुनाफ़ा कमाएंगी। बिना मंडी और बिना बिचौलिए के और जहां चाहे वहां अपनी फ़सल बेचकर जब बिहार के किसान राष्ट्रीय औसत से भी लगभग आधा कमाते हैं तो मोदी सरकार की बहु प्रचारित 'एक देश-एक बाजार' की नीति लागू होने से किसानों को फ़ायदा कैसे होगा?

दरअसल किसान अपनी फ़सल बेचने के लिये कॉर्पोरेट व पूंजीपतियों पर निर्भर हो जाएंगे। किसानों को लाभ तभी मिलेगा जब एमएसपी के लिये कानूनों में संवैधानिक प्रावधान किया जाएगा।

लॉकडाउन के दौरान भाजपा शासित राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में कंपनी व कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों व कर्मचारियों की शिफ़्ट के घंटे आठ घंटे से बढ़ाकर 12 कर दिये गए थे, जिसकी अब पूरे देश में होने की आशंका है। मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों के बाद संसद में श्रम कानून सुधार के नाम पर 24 श्रम कानूनों का विलय कर तीन श्रम कानून पारित करा लिए गए। 'अब आया है हायर एंड फायर का नियम....मोदी सरकार का असली चेहरा जो कोरोना काल में बेनकाब हुआ' में मोदी सरकार की श्रम विरोधी पूंजीपति समर्थक नीति का पर्दाफ़ाश किया गया है। इन श्रम कानूनों के तहत सभी संस्थानों में महिलाएं सभी प्रकार के कार्य करने के लिये अधिकृत होंगी तथा संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

इस प्रकार कोरोना आपदा को अवसर में बदलते हुए मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट व पूंजीपतियों के हितों का पोषण करने के लिये तथाकथित ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून बनाकर किसान, आढ़ती, मज़दूरों व कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है।

लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान भारतीय पुलिस अक्सर अपने पेशेवर आचरण को ताक पर रख कर सत्ता पक्ष के राजनीतिक दबाव में आकर मामलों की छान-बीन करती है। 'राजनीतिक पुलिसिंग में सर के बस खड़ा होता है कानून' तथा 'दिल्ली पुलिस जांच नहीं राजनीति कर रही' में मोदी सरकार व भाजपा शासित राज्य सरकारों के निर्देशानुसार पुलिसिया जांच की राजनीति का भांडा-फ़ोड़ किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून आंदोलन तथा दिल्ली में फ़रवरी साम्प्रदायिक दंगे के मामलों की तर्ज पर अब किसान आंदोलन में शामिल लोगों को भी गुमराह, षडयंत्रकारी व राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है तथा दिल्ली, यूपी व बिहार में तो उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। वास्तव में पुलिस को अपने पेशेवर आचरण से जनता का विश्वास जीतने की आवश्यकता है, न कि उनमें भय पैदा करने की।

लेकिन 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनी/ फैक्ट्री सरकार से पूर्व मंजूरी लिये बिना कर्मचारियों की छंटनी या इकाई को आसानी से बंद कर सकेगी। मज़दूरों को हड़ताल पर जाने के अधिकार के बारे में बनाए गए नियमों के अनुसार अब उन्हें हड़ताल पर जाने से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा तथा तत्काल (फ्लैश) हड़ताल गैर कानूनी होगी। किसी भी कारखाने में यूनियन बनाने के लिये आवश्यक संख्या सात से बढ़ाकर कुल मज़दूरों का 10 प्रतिशत कर दी है। अत: ये सब कानून मज़दूरों को राहत देने की बजाए मालिकों द्वारा उनका शोषन करने के लिए बनाए गए हैं।